मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मांग संख्या 57

प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		6000.00	4.68	6004.68	8000.00	4.58	8004.58	12531.76	4.77	12536.53
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**6000.00**	**4.68**	**6004.68**	**8000.00**	**4.58**	**8004.58**	**12531.76**	**4.77**	**12536.53**
1. सचिवालय -सामाजिक सेवाएं	2251	...	...	...	...	...	...	...	...	...
सामान्य शिक्षा										
प्राथमिक शिक्षा										
2. अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	2202	8.00	...	8.00	2.70	...	2.70	1.00	...	1.00
	2251	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30
	3601	192.70	...	192.70	177.90	...	177.90	169.70	...	169.70
	3602	6.00	...	6.00	5.40	...	5.40	9.00	...	9.00
	जोड़	*207.00*	*...*	*207.00*	*186.30*	*...*	*186.30*	*180.00*	*...*	*180.00*
3. राजस्थान में शिक्षाकर्मी परियोजना	2202	39.04	...	39.04	39.04	...	39.04	6.50	...	6.50
4. महिला समाख्या	2202	29.85	...	29.85	14.85	...	14.85	29.85	...	29.85
	2251	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
	जोड़	*30.00*	*...*	*30.00*	*15.00*	*...*	*15.00*	*30.00*	*...*	*30.00*
5. राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली	2202	4.72	2.53	7.25	4.25	2.53	6.78	4.50	2.53	7.03
6. लोक जुंबिश	2202	29.41	...	29.41	29.41	...	29.41	...	...	...
7. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (ईएपी)	2202	597.91	...	597.91	597.91	...	597.91	597.91	...	597.91
	2251	2.09	...	2.09	2.09	...	2.09	2.09	...	2.09
	जोड़	*600.00*	*...*	*600.00*	*600.00*	*...*	*600.00*	*600.00*	*...*	*600.00*
8. प्राथमिक शिक्षा (एमडीएम)	2202	1675.00	...	1675.00	1507.50	...	1507.50	1164.70	...	1164.70
को पोषाहार सहायता	3601	...	...	...	...	...	...	1825.07	...	1825.07
	3602	...	...	...	...	...	...	20.99	...	20.99
	जोड़	*1675.00*	*...*	*1675.00*	*1507.50*	*...*	*1507.50*	*3010.76*	*...*	*3010.76*
9. सर्व शिक्षा अभियान	2202	3035.15	...	3035.15	4731.70	...	4731.70	7129.53	...	7129.53
	2251	21.91	...	21.91	21.91	...	21.91	26.45	...	26.45
	3601	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	*3057.08*	*...*	*3057.08*	*4753.63*	*...*	*4753.63*	*7156.00*	*...*	*7156.00*
10. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद	2202	7.75	...	7.75	0.22	...	0.22	4.50	...	4.50
11. कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय	2202	...	...	...	90.00	...	90.00	225.00	...	225.00
	3601	95.00	...	95.00	...	...	...	...	...	...
	3602	5.00	...	5.00	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*100.00*	*...*	*100.00*	*90.00*	*...*	*90.00*	*225.00*	*...*	*225.00*
जोड़ प्रांरभिक शिक्षा		**5750.00**	**2.53**	**5752.53**	**7225.35**	**2.53**	**7227.88**	**11217.26**	**2.53**	**11219.79**
प्रौढ़ शिक्षा										
12. प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों को सहायता	2202	25.00	...	25.00	23.00	...	23.00	22.50	...	22.50
13. नवसाक्षरों के लिए सतत शिक्षा	2202	155.24	...	155.24	151.74	...	151.74	164.12	...	164.12
	3601	2.00	...	2.00	...	...	...	1.80	...	1.80
	जोड़	*157.24*	*...*	*157.24*	*151.74*	*...*	*151.74*	*165.92*	*...*	*165.92*
14. साक्षरता अभियान और पुनः संचालन	2202	26.00	...	26.00	19.00	...	19.00	22.50	...	22.50
15. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	2202	11.50	1.73	13.23	10.50	1.63	12.13	12.37	1.80	14.17
16. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	2202	0.40	0.07	0.47	0.40	0.07	0.47	0.40	0.07	0.47
	2251	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60
	जोड़	*1.00*	*0.07*	*1.07*	*1.00*	*0.07*	*1.07*	*1.00*	*0.07*	*1.07*
17. श्रमिक विद्यापीठ	2202	28.00	...	28.00	26.50	...	26.50	35.59	...	35.59
(जन शिक्षण संस्थान)	2202	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
18. राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान										
19. प्रौढ़ शिक्षा में जन शिक्षा	2202	1.25	...	1.25	1.25	...	1.25	1.12	...	1.12
20. अन्य कार्यक्रम	2202	...	0.35	0.35	...	0.35	0.35	...	0.37	0.37
जोड़-प्रौढ़ शिक्षा		**250.00**	**2.15**	**252.15**	**233.00**	**2.05**	**235.05**	**261.00**	**2.24**	**263.24**

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2005-2006 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
22. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	541.65	...	541.65	1053.50	...	1053.50
कुल जोड़		***6000.00***	***4.68***	***6004.68***	***8000.00***	***4.58***	***8004.58***	***12531.76***	***4.77***	***12536.53***
ग. आयोजना परिव्यय*-	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय योजना										
1. सामान्य शिक्षा	22202	6000.00	...	6000.00	7458.35	...	7458.35	11478.26	...	11478.26
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	541.65	...	541.65	1053.50	...	1053.50
जोड़-केन्द्रीय योजना		6000.00	...	6000.00	8000.00	...	8000.00	12531.76	...	12531.76

1. सचिवालय : सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना : इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के मुख्य घटक इस प्रकार हैं :-

(i) सभी जिलों में प्रारंभिक शिक्षकों के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना।

(ii) चुनिंदा शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को शिक्षक शिक्षा कॉलेजों और उच्चतर अध्ययन संस्थाओं के रूप में सुदृढ़ करना।

(iii) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों को सुदृढ़ बनाना

सिविल कार्य, उपस्करों की खरीद, कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम आदि के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है और अब तक इस योजना के अंतर्गत 498 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, 86 शिक्षक शिक्षा कालेज और 38 उच्चतर अध्ययन शिक्षा संस्थान संस्वीकृत किए गए हैं।

3. राजस्थान में शिक्षा कर्मी परियोजना : इस परियोजना का उद्देश्य बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए राजस्थान के सुदूर और समाजार्थिक रूप से पिछड़े गांवों में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना और प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्तामूलक सुधार करना है। इस परियोजना की अवधि, जिसे यू.के. के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग तथा राजस्थान सरकार की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है, 30.6.2005 तक बढ़ा दी गई है जिसके तहत दोनों की लागत साझेदारी क्रमशः 75:25 है।

4. **महिला समाख्या कार्यक्रम :** इस समय महिला समाख्या कार्यक्रम (महिला समानता हेतु शिक्षा) को 9 राज्यों के यथा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, केरल तथा उत्तरांचल के 60 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम समाज के तृणमूल स्तर से ही महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने संबंधी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। महिला समाख्या कार्यक्रम की सहायता हेतु नीदरलैंड सरकार से निधियां प्राप्त होती हैं।

5. राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली: राष्ट्रीय बाल भवन एक पूर्णरूपेण वित्तपोषित स्वायत्त संगठन है। राष्ट्रीय बाल भवन का उद्देश्य बच्चों की सृजनात्मक क्षमता में वृद्धि करना और उनमें चुनौती स्वीकार करने, प्रयोग करने, नवाचार तथा सृजन करने के निमित्त एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति तथा इच्छाशक्ति सृजित करना है।

6. **लोक जुम्बिश :** राजस्थान में स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के सहयोग से संचालित ''लोक जुम्बिश'' नामक एक नवाचारी परियोजना के तहत जन संघटन एवं जन सहभागिता के जरिए प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण पर ध्यान दिया गया। यह परियोजना जून,2004 में समाप्त हो गई थी।

7. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम : इस केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में प्राथमिक शिक्षा के विकास के संबंध में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम परियोजनाओं के क्रमिक समापन के कारण यह स्कीम 9 राज्यों के 129 जिलों में संचालनाधीन है। इस समय लगभग 9307 नए प्राथमिक विद्यालय भवन निर्मित किए गए हैं, नए विद्यालय भवनों में 29121 शौचालयों, 8597 पेयजल सुविधा, 33363 अतिरिक्त शिक्षण कक्षों, 14521 नए शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है और 48510 मरम्मत के कार्य किए गए। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को बाह्य सहायता के रूप में विश्वबैंक, डी एफ आई डी तथा यूनीसेफ से निधियां प्राप्त होती हैं जो भारत सरकार को 85% संसाधन उपलब्ध कराने संबंधी स्कीम के तहत है। राज्य की हिस्सेदारी 15% है।

8. प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रमः प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के नामांकन, उपस्थिति तथा उन्हें स्कूल में बनाए रखकर प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने को बढ़ावा देने तथा इसी के साथ-साथ छात्रों के पोषाहार स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से 15 अगस्त, 1995 को प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को शिक्षा गारंटी स्कीम और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा स्कीम अध्ययन केन्द्रों के रूप में बच्चों के अध्ययन के लिए बनाया गया है। स्कीम को संशोधित कर दिया गया है और संशोधित स्कीम के अनुसार केन्द्र सरकार निम्नलिखित की व्यवस्था करती है

(i) प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस 100 ग्राम खाद्यान्न,

(ii) 11 विशिष्ट वर्गीय राज्यों के लिए 100रू0 प्रति क्विंटल की अधिकतम दर पर खाद्यान्नों की ढुलाई हेतु वास्तविक खर्च और अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों हेतु 75 रू. प्रति क्विंटल, जो कि 1.10.2004 से लागू होगा।

(iii) प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस 1.00 रू0 भोजन पकाने की लागत, जो 01.09.2004 से लागू है, जैसाकि राज्य सेक्टर में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए निर्धारित किया गया है।

(iv) राज्य सरकार द्वारा ''सूखाग्रस्त'' घोषित क्षेत्रों में प्रचलित मानदंडों के अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान स्कूली बच्चों को पका पकाया मध्याह्न भोजन प्रदान करने के प्रावधान हेतु भी सहायता प्रदान की गई।

वर्ष 2005-06 के दौरान लगभग 11.20 करोड़ बच्चों को इस कार्यक्रम के तहत शामिल किए जाने की उम्मीद है।

9. सर्व शिक्षा अभियान : सर्वशिक्षा अभियान राज्यों/संघशासित प्रदेशों की सहभागिता से भारत सरकार द्वारा सचिालित एक राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से देश में सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा संबंधी कार्यनीति को कार्यरूप देने की अपेक्षा की जाती है। सर्वशिक्षा अभियान हेतु राज्यों/संघशासित प्रदेशों के साथ इसकी हिस्सेदारी 75:25 है। इस कार्यक्रम के तहत भवन रहित बस्तियों में नए विद्यालय खोलने, अतिरिक्त शिक्षण कक्षों, शौचालयों, पेयजल, अनुरक्षण अनुदान तथा विद्यालय अनुदान आदि सहित विद्यालय संबंधी बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने की अपेक्षा की जाती है। वर्ष 2004-05 के दौरान, सर्व शिक्षा अभियान के तहत परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने 44719 विद्यालय खोलने, 210431 अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करने, 29018 स्कूल भवनों का निर्माण करने, 82538 अतिरिक्त शिक्षण कक्षों की व्यवस्था करने, 50044 शौचालयों तथा 44322 पेयजल सुविधाएं जुटाने के निमित्त अनुदान प्रदान किया है। 856230 विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान तथा 903191 विद्यालयों को विद्यालय अनुदान प्रदान किए गए हैं।

सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक की अवधि के लिए बाहरी निधियन एजेंसियों जैसे विश्व बैंक, यू.के. के डी.एफ.आई.डी. और यूरोपीय आयोग से 4700.00 करोड रू0 तक आंशिक रूप से वित्तपोषित है।

10. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद : राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना अगस्त, 1995 में एक संसदीय अधिनियम के तहत की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद में देश में शिक्षक शिक्षा का विकास एवं इस संबंधी मानकों तथा मानदंडों के विनियमन संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यवस्था है।

11. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय : कस्तूरबा गांधी बालिका को अगस्त,2004 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले अनु.जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए मुख्य रूप से प्रारंभिक स्तर पर बोर्डिंग सुविधाओं सहित लगभग 750 आवासीय विद्यालय स्थापित करके बालिकाओं हेतु गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुलभ कराना है। शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में, जहां महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है तथा साक्षरता में महिला-पुरूष अंतर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

12. गैर सरकारी संगठनों को सहायता : इस योजना के अंतर्गत, 15-35 के आयु वर्ग के अंतर्गत प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षरता प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संस्थाओं को शत प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गैर सरकारी संस्थाओं की सहभागिता से उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के कम महिला साक्षरता वाले जिलों में महिला साक्षरता को सुधारने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए थे।

13. सतत शिक्षा : इस योजना में देश में साक्षरता कार्यक्रमों से संबंधित अध्ययन प्रयासों को जारी रखने का प्रावधान है। इसमें पुस्तकालय संबंधी सुविधाएँ प्रदान करने, पठन कक्ष, अध्ययन केन्द्र और खेल एवं सांस्कृतिक केन्द्र तथा अन्य निजी रूचि से संबंधित कार्यक्रमों के जरिए नवसाक्षरों को अवसर प्रदान करने पर बल दिया गया है।

14. साक्षरता अभियान : सम्पूर्ण साक्षरता अभियान निरक्षरता उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की प्रमुख नीति है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और राज्य सरकारों के बीच वित्त पोषण की पद्धति 2:1 के अनुपात में है। जनजातीय जिलों के लिए वित्त पोषण की पद्धति 4:1 के अनुपात में है। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान और उत्तर साक्षरता कार्यक्रम की प्रति पाठक लागत दर क्रमशः 90-180 रू0 और 90-130 रू0 है। नई पहल में उत्तर साक्षरता कार्यकलापों सहित बुनियादी साक्षरता के समेकन पर बल देने की परिकल्पना की गई है ताकि निरन्तरता, कुशलता और संकेन्द्रण प्राप्त करके सम्पूर्ण साक्षरता अभियान और उत्तर साक्षरता अभियान के बीच पारगमन की सुलभता सुनिश्चित की जा सके।

15. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय : प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। यह निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में गठित किया गया था जिसका अध्ययन देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम लागू करने वाली विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों को शैक्षिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करना था।

16. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण : राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की स्थापना 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के स्वायत्त एवं स्वतंत्र प्रकोष्ठ के रूप में की गई थी।

17. जन शिक्षण संस्थान : इस योजना का उद्देश्य अपने लाभार्थियों के व्यावसायिक कौशलों और जीवन स्तर में सुधार करते हुए बहुसंयोजक अथवा बहुआयामी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करना है। यह संस्थान शहरी/ग्रामीण जनसंख्या के समाजार्थिक रूप से पिछड़े और शैक्षिक रूप से लाभवंचित समूहों जैसे नवसाक्षरों, अर्ध-साक्षरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और बालिकाओं, झुग्गी-झोपड़ी निवासियों, प्रवासी कामगारों आदि पर ध्यान केन्द्रित करता है।